फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम —हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. शक्तिसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी सूरौठ महल, सूरौठ, तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान —————————————————— वादी

बनाम

1. तेजवीरसिंह पुत्र शिवदयालसिंह जाति राजपूत निवासी एसबीआई बैंक के सामने सूरौठगढ़, सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज0
2. वीरबहादुरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी एसबीआई बैंक के सामने सूरौठ गढ़ सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज0
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदारजी तहसील सूरौठ जिला करौली राज0 ————प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन, **मुकदमा नं0 144/2025**

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट मिन जानिव मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा में तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी विवादित आराजी खसरा नम्बर 2013 रकबा 0.07 है0, 2044 रकबा 0.07 है0, 2635 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ तेजवीर सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह हिस्सा 1/3 वीर बहादुर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/3, शक्ति सिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत निवासी सूरौठ के संयुक्त खातेदारी में रहेगी तथा खसरा नम्बर 2043/1 रकबा 0.06 है0, 2685/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का वादी शक्ति सिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 2043/2 रकबा 0.12 है0, 2685/2 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का प्रतिवादी तेजवीर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह हिस्सा 1/2, वीर बहादुर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खसरा नम्बर 2043/1 रकबा 0.06 है0, 2685/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, भूमि को वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें, प्रतिवादीगण भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करें, भूमि की मौका सूरत नहीं बदले, प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, ताकी वादी के हक हकूकों की हकतल्फी नहीं हो। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

8/10/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 144/2025 तारीख रजू:— 26.06.2025

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. शक्तिसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी सूरौठ महल, सूरौठ, तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान —————————— वादी

बनाम

1. तेजवीरसिंह पुत्र शिवदयालसिंह जाति राजपूत निवासी एसबीआई बैंक के सामने सूरौठगढ़, सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज0
2. वीरबहादुरसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी एसबीआई बैंक के सामने सूरौठगढ़ सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज0
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदारजी तहसील सूरौठ जिला करौली राज0 ————प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन

व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :— 08.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। दिनांक 04.09.2025 को दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2013 रकबा 0.07 है0, 2043 रकबा 0.18 है0, 2044 रकबा 0.07 है0, 2635 0.18 है0, 2685 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ के मुताबिक राजस्व रिकार्ड तेजवीर सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह हिस्सा 1/3 वीर बहादुर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/3, शक्ति सिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत निवासी सूरौठ खातेदार काश्तकार हैं के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा करने हेतु तहसीलदार सूरौठ को 1000/—रूपया फीस पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये कि आप उक्त विवादित आराजीयात के मौके पर पहुँचकर उक्त विवादित आराजीयात में मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य उनके कब्जे काश्त को मद्देनजर रखते हुए अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस दो प्रतियों में तैयार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय में पेश करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

मुताविक आदेश तहसीलदार (भू–अभि0) सूरौठ के पत्रांक भू.अ./2025/2117 दिनांक 06.10.2025 से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बंटवारा स्कीम पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने मुताविक बंटवारा स्कीम वादी का दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2013 रकबा 0.07 है0, 2044 रकबा 0.07 है0, 2635 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ तेजवीर सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह हिस्सा 1/3 वीर बहादुर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/3, शक्ति सिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत निवासी सूरौठ के संयुक्त खातेदारी में रखी गयी है तथा खसरा नम्बर 2043/1 रकबा 0.06 है0, 2685/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ वादी शक्ति सिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी सूरौठ के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 2043/2 रकबा 0.12 है0, 2685/2 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ प्रतिवादी तेजवीर सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह हिस्सा 1/2 वीर बहादुर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत निवासी सूरौठ के हिस्से में आयी हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिक्री एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादी अपने दावा को फाईनल डिक्री कराना चाहते हैं। जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होना प्रतीत होता है। यदि प्रतिवादीगण को उक्त बंटवारा से कोई आपत्ति होती तो वे न्यायालय में या बंटवारा स्कीम तैयार करते समय तहसीलदार सूरौठ के समक्ष उपस्थित होते। इसलिए वादी का दावा मुताविक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी विवादित आराजी खसरा नम्बर 2013 रकबा 0.07 है0, 2044 रकबा 0.07 है0, 2635 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ तेजवीर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह हिस्सा 1/3 वीर बहादुर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/3, शक्ति सिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत निवासी सूरौठ के संयुक्त खातेदारी में रहेगी तथा खसरा नम्बर 2043/1 रकबा 0.06 है0, 2685/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का वादी शक्ति सिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 2043/2 रकबा 0.12 है0, 2685/2 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ का प्रतिवादी तेजवीर सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह हिस्सा 1/2, वीर बहादुर सिंह पुत्र गोविन्दसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आराजी खसरा नम्बर 2043/1 रकबा 0.06 है0, 2685/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजामहत, मदाखलत नहीं करें, भूमि को वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे, भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें, प्रतिवादीगण भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं करें, भूमि की मौका सूरत नहीं बदले, प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे, ताकी वादी के हक हकूकों की हकतल्फी नहीं हो। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 8/10/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली